

फार्म नं.- III  
फर्ड अहकाम  
(नियम-26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

..... बनाम .....  
सातनाग सिंह बलराज सिंह आरि

अन्तर्गत धारा 151 CPC नम्बर 178 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. आईडी : 2023 / 257

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किये गये
------------	-----------------------------------	---

26/9/23

राजस्व(ग्रुप-1) की अधिसूचना क्रमांक/प. 9(18) राज-1/2022(1)-(14) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा नये जिले अनूपगढ़ का सृजन किया गया है। जिला दिनांक 07.08.2023 से क्रियाशील हो गया है। श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक/प. 9(18) राज-1/2022 दिनांक 08.08.2023 की पालना में उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है।  
प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 25/10/2023 को पेश हो।

(कल्पना अग्रवाल)  
आई.ए.एस.  
जिला कलक्टर  
अनूपगढ़

25/10/23

पत्रावली पेश है। पक्षकारान दाखिलगी।  
पत्रावली पत्रकारान की तलब किया  
जाकर दिनांक 05/11/2023 को पेश है।

05/11/2023

पत्रावली पेश है। जज सातनाग सिंह को  
आवे ही को अन्वय कस्को अधिवक्ता को  
उपस्थित होकर सा-फ प्रस्तुत कर प्रकरण  
में पत्रकारान के मुख्य राजीनामा हो जाने के  
कारण प्रकरण जीए विद्वा मोंपरा स्टाफट हाबिल  
पत्रावली जमाने हेतु निर्वाक किया अधिवक्ता  
जज को पत्रकारान के साधक पर प्रवर्तना  
151 CPC विद्वा करने की अनुमति दी जाती है।  
तथा प्रकरण विद्वा अध्यापक प्रवर्तना पर अधिवक्ता  
किया जाता है पत्रावली में हल में प्रमाण  
होकर साड तकमील हाबिल फर्मा है।

Smr



जिला कलक्टर  
अनूपगढ़